न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/196/2021

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2021/471

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री भगवानसहाय शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा, ग्राम–सैंथल, पोस्ट–प्रागपुरा, वाया–रैणी, तहसीलदार रैणी, जिला–अलवर (राज.)–301409		सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर

प्रवेश तिथि :: 01.11.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 20.12.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 17.09.2021/20.09.2021 एवं अन्य RTI प्रा0पत्र दिनांकः 17.09.2021 के माध्यम से **क्रमशः प्रत्यर्थी तथा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रैणी (अलवर)** को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिल्ली–मुम्बई एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण हेतु तहसील–रैणी, गिरदावर मण्डल डेरा के राजस्व ग्राम–डेरा, डगड़गा एवं सैंथल की भूमि अवाप्ति से संबंधित सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार **प्रत्यर्थी तथा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रैणी (अलवर)** द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 26.10.2021 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 18180 दिनांकः 10.12.21 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा उनके RTI प्रा0पत्र दिनांकः 17.09.2021 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा फोटोप्रति शुल्क रू. 262/– जमा राजकोष कराने हेतु जारी पत्र सं. 17251 दिनांकः 22.10.21 पर आक्षेप व्यक्त कर प्रश्नगत सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(6) के तहत निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है।
7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(3)(क) में प्रावधान है कि "जहाँ, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहाँ यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा यथाअवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे, जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए उससे **उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।**"

जिला कलक्टर, अलवर

8. चूँकि RTI प्रा0पत्र दिनांकः 17.09.2021, प्रत्यर्थी कार्यालय को राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के पत्रांकः लो.सू.अ./अन्तरण/2021/1815–16 दिनांकः 23.09.21 के माध्यम से अन्तरण पर प्राप्त हुआ है, के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. 17251 दिनांकः 22.10.21 के माध्यम से आवेदन पर विनिश्चय कर फोटोप्रति शुल्क रू. 262/–राजकोष में जमा कराने हेतु लिखा जाना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(3)(क) के आलोक में प्रक्रियाजनित उचित प्रतीत होता है।
9. उक्त के अतिरिक्त जहॉ तक तहसीलदार रैणी (अलवर) द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है, प्रश्नगत सूचना हेतु तहसीलदार (भू.अ.) रैणी (अलवर) द्वारा पत्र सं. भू.अ../2021/2806–07 दिनांकः 06.10.2021 के माध्यम से मूल RTI प्रा0पत्र, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर को प्रेषित करते हुए अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
10. RTI प्रा0पत्र दिनांकः 17.09.2021 के बिन्दु सं. 4 के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड राजगढ (अलवर) एवं उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, अलवर को वांछित सूचना आवेदक को प्रेषित कर सूचित करने बाबत लिखा है किन्तु पत्रावली के अवलोकन अनुसार उक्त बिन्दु सं. 4 के संबंध में अपीलार्थी को संभवतः किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन के बिन्दु सं. 4 के संबंध में अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड राजगढ (अलवर) एवं उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के प्रावधानानुसार विहित कालावधि में आवेदन अन्तरित नहीं किया गया है इससे अब प्रत्यर्थी का यह दायित्व बन जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं. 4 में वांछित सूचना संबंधित कार्यालयों से मंगवाकर अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवाए।
11. अतः उक्त आलोक में RTI आवेदन–पत्र दिनांकः 17.09.2021/20.09.2021 के **बिन्दु सं. 1,2,3 व 5 के परिप्रेक्ष्य में अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है। अपीलार्थी नियमानुसार फोटोप्रति शुल्क जमा राजकोष कराकर सूचना प्राप्त करे। उक्त के अतिरिक्त आवेदन के **बिन्दु सं. 4 के परिप्रेक्ष्य में अपील, अपीलार्थी स्वीकार** की जाती है। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में आवेदन के बिन्दु सं. 4 के परिप्रेक्ष्य में सूचना संबंधित कार्यालयों से मंगवाकर, हस्ताक्षरित एवं अधिप्रमाणित कर जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी को निःशुल्क भिजवाना सुनिश्चित करें।
12. निर्णय की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ तहसीलदार रैणी को भी प्रेषित हो।
13. आज दिनांकः 20.12.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर